संख्या–18/2015/1621/छत्तीस–2–2015–7(जी)/2015

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रदेश के समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

श्रम अनुभाग–2 लखनऊःदिनांक 29 दिसम्बर, 2015

विषयः– मनरेगा, ईंट भट्ठों तथा अन्य निर्माण स्थलों पर कार्यरत पात्र निर्माण श्रमिकों तथा अधिष्ठानों को पंजीकृत कराये जाने के उद्देश्य से जिलाधिकारियों को मुख्य समन्वयक अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारियों, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त तथा विकास प्राधिकरणों के अधिशाषी अभियन्ता (जिनको उपाध्यक्ष द्वारा नामित किया जायेगा) को नोडल अधिकारी नामित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि श्रम मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–जेड –20011/05/2010–बी0एल0 दिनांक 12–7–13 द्वारा कहा गया है कि वानिकी एवं उद्यान से सम्बन्धित तथा कुछ अन्य कार्यो को छोडकर मनरेगा के अन्तर्गत किये जाने वाले अधिकतर कार्य निर्माण प्रक्रिया से सम्बन्धित है तथा ऐसे श्रमिकों जिनके द्वारा विगत 12 माह में 50 दिन या इससे अधिक कार्य किया गया हो, उन्हें उनके स्वयं के प्रमाणीकरण के आधार पर भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का सदस्य बनाये जाने हेतु पंजीकृत किया जायें। इस सम्बन्ध में श्रम विभाग, उ0प्र0 द्वारा कार्यवाही भी की जा रही है, परन्तु अब तक पूरे प्रदेश में मात्र 148290 मनरेगा श्रमिक ही उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत लाभार्थी के रूप में पंजीकृत हैं, जबकि प्रदेश में ऐसे श्रमिकों की संख्या बहुत अधिक है। श्रम मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या Z-13011/03/2007-BL(Pt) दिनांक 23.09.2015 द्वारा निर्देशित किया गया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्त तक शतप्रतिशत निर्माण श्रमिकों का पंजीयन पूर्ण कराया जाएं।

2. जैसा कि आप अवगत हैं कि उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों हेतु विभिन्न लाभकारी योजनायें संचालित की जा रही है जिससे ऐसे श्रमिकों तथा उनके आश्रितों को दुर्घटना, मृत्यु, गम्भीर बीमारी आदि की स्थिति में लाभान्वित कराया जा सके, उन्हें आवासीय सुविधा उपलब्ध करायी जा सके तथा ऐसे श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा पर होने वाले व्यय में मदद की जा सके, परन्तु पात्र मनरेगा श्रमिकों द्वारा भी जानकारी के अभाव में पंजीकरण नहीं कराया जा रहा है। अतः यह आवश्यक है कि आपके जनपद में पात्र मनरेगा श्रमिकों के पंजीयन हेतु अभियान के रूप में कार्यवाही की जाये तथा उनका शत प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित किया जाए।

@

E/Archit/ gonbs
aadhikari2@gmail.com

3. श्रम अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या 488/36–2–2013 लखनऊ दिनांक 25.07.2013 के अनुसार ईंट भट्ठों में कम से कम 90 दिन काम करने वाले श्रमिक भी उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में लाभार्थी के रूप में पंजीकृत होने के पात्र हैं। उ0प्र0 में ईंट भट्ठों का संचालन लगभग प्रत्येक वर्ष में अक्टूबर माह के अन्तिम सप्ताह से प्रारम्भ होकर 15 जून तक रहता है। ईंट भट्ठों पर स्थानीय श्रमिकों के अतिरिक्त अन्य प्रदेशों के श्रमिक भी कार्य करने हेतु आते हैं। ईंट भट्ठों के श्रमिकों को भी अभियान स्वरूप पंजीकृत कराने की कार्यवाही पूर्ण करायी जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि जनपद के किसी भी ईंट भट्ठा के पात्र श्रमिक पंजीयन से छूटने न पाये।

4. मनरेगा, ईंट भट्ठों एवं अन्य निर्माण स्थलों पर कार्यरत पात्र श्रमिकों एवं अधिष्ठानों का भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन कराने हेतु जिलाधिकारियों को मुख्य समन्वयक अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारियों, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त तथा विकास प्राधिकरणों के अधिशाषी अभियन्ता (जिनको उपाध्यक्ष द्वारा नामित किया जायेगा) को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।

4.1 जनपद स्तर पर पात्र निर्माण श्रमिकों का शत प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मुख्य समन्वयक अधिकारी के रूप में कार्य करेगे तथा जनपद के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कराये जा रहे समस्त सरकारी, गैर सरकारी, निजी कार्यों में नियोजित अर्ह निर्माण श्रमिकों का पंजीयन अपने मार्गदर्शन में करवायेंगे।

4.2 पंजीयन कराने हेतु श्रमिकों को जागरूक करने एवं पंजीयन की पात्रता एवं उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी देने हेतु निर्माण स्थलों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों पर 6 फीट X 4 फीट की परिमाप में वॉल पेन्टिग कराया जाना भी सुनिश्चित कराया जाएंगा। यह वॉल पेन्टिग पीले रंग की पृष्ठभूमि में लाल रंग के शब्दों से लिखी जायेगी जिसका 01 इंच मोटाई का काले रंग से बॉर्डर भी बनाया जाएगा (वाल पेन्टिंग के बिन्दु संलग्नक प्रारूप–1 मे दिये जा रहे हैं)।

4.3 मुख्य विकास अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे निर्माण कार्यों (उदाहरणार्थ विधायक/सांसद निधि से संचालित कार्य, मनरेगा के अन्तर्गत संचालित कार्य, क्रिटिकल गैप निधि, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान व मॉडल स्कूल योजनान्तर्गत निर्माणाधीन स्कूल/विद्यालय, MSDP के अन्तर्गत निर्माणाधीन स्वास्थ्य उप केन्द्र, इन्सिनेरेशन प्लांट्स व अन्य, युवा कल्याण विभाग द्वारा निर्माणाधीन खेलकूद काम्पलेक्स व मैदान, निर्माणाधीन आंगनवाड़ी केन्द्र, समग्र लोहिया ग्राम योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन सम्पर्क मार्ग, लोहिया आवास, सीसी सड़कें, नाली व खड़ंजे, 13वें/14वें वित्त व राज्य वित्त से चल रहे निर्माण कार्य, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गतं निर्माणाधीन शौचालय, रू0 50.00 लाख से ऊपर के समस्त संचालित निर्माणाधीन परियोजनायें, रू0 50.00 लाख से नीचे समस्त संचालित निर्माण कार्य तथा इनके अतिरिक्त वे सभी निर्माण कार्य जिनकी समीक्षा शासन के निर्देश के कम में जिलाधिकारी की मासिक समीक्षा बैठक के दौरान की जाती है अथवा अन्य कोई भी, में कार्यरत निर्माण श्रमिकों के पंजीयन हेतु नोडल अधिकारी होंगे तथा पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे। निर्माण कार्यों की यह सूची प्रतीकात्मक मात्र है। मुख्य विकास अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय निवेश से जारी समस्त निर्माण कार्य स्थलों पर कार्यरत श्रमिकों के नियमानुसार पंजीयन हेतु नोडल अधिकारी नामित किए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के श्रमिक पंजीयन का विवरण इस पत्र के साथ संलग्न प्रारूप–2 में उपलब्ध कराया जाऐगा।